रुचिका-राठौर मामले का तिथिनुसार ब्योरा

- 12 अगस्त,1990 को राठौर द्वारा छेड़छाड़। उस समय वह प्रतिनियुक्ति पर भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में तैनात था जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ था।
- 16 अगस्त, 1990 को रुचिका द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री हुकुम सिंह व गृह सचिव को शिकायत, क्योंकि निचले स्तर पर किसी ने भी सुनाई नहीं की।
- 17 अगस्त, 1990 को हुकुम सिंह ने डीजीपी आर.आर.सिंह को मामले की तहकीकात करने को कहा।
- 18 अगस्त, 1990 पुलिस ने राठौर के विरुद्ध रपट रोज़नामचा नंबर-12 लिखी।
- 3 सितंबर, 1990 आर.आर. सिंह ने राठौर को दोषी पाया और एफआईआर दर्ज करने की सिफ़ारिश की। लेकिन हुकुम सिंह ने चौटाला का हुकुम मानते हुए कुछ नहीं किया। तब तक आर.आर.सिंह की जगह आर.के.हुड्डा डीजीपी हो गये थे जिन्होंने तत्कालीन गृहसचिव जे.के.दुग्गल से हमराय हो कर एफआईआर की बजाय विभागीय जांच के आदेश दिये।
- 12 मार्च, 1991 गृहमंत्री सम्पत सिंह ने विभागीय एक्शन की संस्तुति हुकुम सिंह को भेजी।
- 13 मार्च, 1991 हुकुम सिंह ने स्वीकृति दे दी।
- 22 मार्च,1991 ओमप्रकाश चौटाला स्वयं 14 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने।
- 6 अप्रैल, 1991 राष्ट्रपति शासन लागू, धनिक लाल मंडल राज्यपाल थे।
- 28 मई, 1991 राठौर के विरुद्ध विभागीय आरोपपत्र तैयार।
- 23 जुलाई, 1991 से 9 मई, 1996 तक भजन लाल मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान पूरे पांच साल रंजीव दलाल अंबाला के डीआईजी रहे और इसी दौरान आशु पर झूठे मुकदमें बने व अत्याचार हुए।
- 6 अप्रैल,1992 आशु के विरुद्ध कार चोरी की एफआईआर नंबर-39
- 30 जून,1992 राज्य के विधि सचेतक आर.के.नेहरू (जो बाद में हाई कोर्ट के जज बने) ने राठौर के विरुद्ध तुरंत एफआईआर दर्ज करने की सिफ़ारिश की।
- 30 मार्च, 1993
- 10 मई, 1993
- 12 जून, 1993
- 30 जुलाई, 1993
- 4 सितंबर, 1993

} - को आशु के विरुद्ध कार चोरी की अन्य एफआईआर दर्ज हुई। - 23 अक्तूबर, 93 को आशु को अवैध रूप से पुलिस ने उठा कर करीब दो माह तक अपनी अवैध हिरासत में रखा और केवल तब छोड़ा जब रुचिका का दाह-संस्कार हो चुका था।

- 28 दिसंबर, 1993 रुचिका ने ज़हर खा कर आत्महत्या की।
- अप्रैल 1994 में भजन सरकार ने राठौर पर लगे सभी आरोप हटा लिये।
- 4 नवंबर, 1994 भजन सरकार ने राठौर को पदोन्नत कर के अतिरिक्त डीजीपी बना दिया।
- 11 मई, 1996 से 23 जुलाई 1999 तक रहे बंसी लाल के राज में राठौर को पदोन्नत कर के डीजीपी बना दिया गया।
- 5 जून,1998 राठौर को निलंबित किया गया, क्योंकि बतौर डीजीपी जेल रहते हुये इन्होंने किसी कैदी को ग़लत पैरोल दे दी थी।
- 21 अगस्त, 1998 राठौर को बहाल तो किया गया, परंतु अतिरिक्त डीजीपी के पद पर।
- 23 जुलाई, 1999 ओमप्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने।
- 30 सितंबर, 1999 राठौर विभागीय जांच से बरी तथा पदोन्नत हो कर डीजीपी बने 20 मई 99 से।
- 10 अक्टूबर, 1999 राठौर को हरियाणा पुलिस का प्रमुख डीजीपी बनाया गया।
- 16 नवंबर, 2000 सीबीआई ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
- 5 दिसंबर, 2000 राठौर को चौटाला ने छुट्टियों पर भेज दिया जहां से 31 मार्च 2002 को वह सेवानिवृत हो गया।
- 21 दिसंबर, 2009 को सीबीआई अदालत ने राठौर को दोषी ठहरा कर छः माह की सज़ा सुनाई।

पाठक मंच

मज़दूर मोर्चा का नया अंक मिला। पहले ही समाचार से पता चला कि हमारे देश में पुलिस व्यवस्था का कैसा बुरा हाल हो चुका है। जहां तक न्यायपालिका की दुर्दशा का सवाल है, आप इस पर बराबर लिखते रहे हैं। आपका यह कहना सच है कि मात्र एक दिनाकरण पर महाभियोग चलाने से क्या होगा? ऐसे दिनाकरण तो हमारी न्याययिक व्यवस्था में ऊपर से लेकर नीचे तक भरे पड़े हैं। दरअसल, न्यायपालिका भी वर्तमान भ्रष्ट व्यवस्था का एक अंग है, इसलिए भ्रष्टाचार का कीड़ा इसमें भी लगा हुआ है। वर्तमान व्यवस्था में जब सेना में भ्रष्टाचार है, पुलिस भ्रष्टाचार पर ही टिकी हुई है तो न्यायपालिका कहां तक इससे बची रहेगी। गपशप कॉलम काफी अच्छा लगता है। इसे जारी रखें। हरिशंकर परसाई का व्यंग्य पहला पुल बहुत ही अच्छा लगा। अमेरिका की साम्राज्यवादी भूमिका पर प्रकाशित लेख अच्छा है। आम्बेडकर और स्वतंत्रता पर प्रकाशित लेख भी काफी अच्छा है। इसे पढ़ने के बाद लगा कि अभी बहुत से लोग़ों को जो अपने आप को आम्बेडकर की विचारधारा के अनुरूप चलने वाला बताते हैं, उनके विचारों की समझ नहीं है। वैसे लोग़ों को यह लेख और आम्बेडकर द्वारा लिखे गये लेखों और पुस्तकों को पढ़ना चाहिए।

- सूर्यप्रकाश, फरीदाबाद

मज़दूर मोर्चा का नया अंक मिला। ऐसा लगा कि यह अखबार महज अखबार नहीं, बल्कि आंदोलन है। जैसे लेख इसमें प्रकाशित हैं और जो धार उन लेखों में है, वैसे लेख और कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। इस अंक में आपने पुलिस के साथ-साथ न्यायपालिका पर भी करारा प्रहार किया है। अंक में प्रकाशित हरिशंकर परसाई का व्यंग्य पहला पुल बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह के और भी व्यंग्य छापें। मनुष्य महाविनाश से कैसे बच सकता है? लेख काफी अच्छा लगा। इसी तरह आम्बेडकर और स्वतंत्रता शीर्षक लेख भी काफी अच्छा है। आज आम्बेडकर के बारे में यह धारणा बनी हुई है कि वे सिर्फ अछूतों के नेता थे, पर बात ऐसी नहीं है। आम्बेडकर की विचारधारा संकीर्ण नहीं थी। वे पूरे समाज के विकास के लिए संघर्षरत थे। आज आम्बेडकर का नाम लेकर लोग दलितवाद की राजनीति करते हैं और भ्रष्टाचार करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। दलितों के नेता दलितों को ही लूटने में लगे हुए हैं। आज आम्बेडकर की विशाल प्रतिमाओं को खड़ा करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, बल्कि जरूरत यह है कि आम्बेडकर के विचारों को फैलाया जाये ताकि लोग़ समझ सकें कि आम्बेडकर कैसे समाज का निर्माण करना चाहते थे। आम्बेडकर का साफ़ कहना था कि लोगों को वास्तविक स्वतंत्रता तब तक नहीं मिलेगी जब तक शोषण से उन्हें मुक्ति नहीं मिल जाये। क्या आज दलितों के नेता इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं?

-रामचंद्र सिंह, गुड़गांव

मज़दूर मोर्चा का नया अंक मिला। इस अंक में आपने सही लिखा है कि मात्र एक दिनाकरण पर महाभियोग लगा कर क्या होगा, जबकि पूरी न्याय व्यवस्था में ऊपर से लेकर नीचे तक दिनाकरण ही दिनाकरण भरे पड़े हों। गपशप कॉलम अच्छा लगा। अमेरिका आज साम्राज्यवाद का सरगना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेख में अमेरिका की लुटेरी नीतियों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। दूसरे लेख और समाचार भी पसंद आये। जहां तक आवारा कुत्तों की समस्या का सवाल है तो नगर निगम प्रशासन को इस पर तुरंत सख्त रवैया अपना कर इन्हें पकड़ने का काम करना चाहिए। आज हर क्षेत्र में आवारा कुत्तों की भरमार हो गई है और रोज़ ही लोग़ कुत्ता काटे जाने के शिकार हो रहे हैं। सिर्फ आवारा कुत्ते ही नहीं, गायें, सांड और सूअर भी बड़ी तादाद में सड़कों पर घूमते रहते हैं। इनकी वजह से वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों सांड ने हमला कर एक आदमी को मार डाला। अगर इस समस्या पर जल्दी काबू नहीं पाया जाता है तो लोग तबाह हो जायेंगे। बिजली की समस्या पर भी आपने ठीक लिखा है। पहले कह रहे थे कि बिजली की समस्या दूर कर दी जायेगी, पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दुबारा बैठते ही हुड्डा कहने लगे कि अब बिजली लाने में चार साल और लगेंगे। जनता के साथ इस तरह का मजाक हुड्डा को अगले चुनाव में भारी पड़ेगा।

- पंकज कपूर, फरीदाबाद

मज़दूर मोर्चा का अंक मिला। इस अंक में प्रकाशित सभी लेख पसंद आये। कायर होती पुलिस पर गुंडा तत्व हावी हो कर रहेंगे। पुलिस कायरता इसलिये दिखाती है कि वह भ्रष्टाचार में डूबी है। ईमानदार आदमी कभी कायरता नहीं दिखा सकता। सच पर भरोसा होने के कारण उसमें साहस होता है। जो गलत काम नहीं करता, वह गलत काम होता देख भी नहीं सकता। और वह भी पुलिस जो हथियारबंद होने के साथ अधिकार सक्षम भी है। न्यायपालिका पर आपने निर्भीकतापूर्वक लिखा है। इस तरह का लेखन बड़ी और रंग-बिरंगी पत्रिकाओं में देखने को नहीं मिल सकता। अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों पर प्रकाशित लेख सच को सामने लाता है।

-धर्मवीर शर्मा, फरीदाबाद

पेज 1 का शेष

आपराधिक न्याय व्यवस्था का निकला जनाज़ा

इसी एसपी के सीधे आदेशों के अनुसार रुचिका की मौत को ज़हर खा कर आत्महत्या न दिखा कर पुलिस रिकार्ड में सीधा मौत दिखाया गया ताकि राठौड़ पर भां.दं.सं. की धारा 306 न लग सके, जबकि बाद में आई बिसरा रिपोर्ट में ज़हर खाने की पुष्टि हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी राठौर के विरुद्ध धारा 306 नहीं लग पाई।

राठौर को धारा 306 से बचाने में मुख्य भूमिका हाई कोर्ट के तत्कालीन जज आर.सी.कथूरिया ने निभाई जिसकी पुष्टि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी थी। बिसरा रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने स्वयं धारा 306 तो लगवा दी थी, लेकिन राठौर की पत्नी एवं हाई कोर्ट की वकील आभा राठौर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इस धारा को हटवा दिया।

गिरहोत्रा परिवार के पड़ोसियों ने इस संवाददाता को बताया कि हाई कोर्ट में नियुक्ति से पूर्व आर.सी. कथूरिया गिरहोत्रा के बगल वाले मकान में रहते थे जो उस समय (1990-1994) पंचकूला में ही बतौर अति. सैशन जज तैनात थे। पड़ोसी होने के कारण कथूरिया उस सारी हकीकत को व्यक्तिगत रूप से जानते थे जो गिरहोत्रा परिवार उस समय भुगत रहा था। सारी सच्चाई को जानते-समझते हुए भी कथूरिया ने जिस तरह से धारा 306 हटा कर राठौर को राहत पहुंचाई है, वह न केवल कथूरिया के लिए बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था के लिए शर्मनाक है।

पूरे दो दिनों तक मीडिया से मुंह छिपाने के बाद जब मजबूर होकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला प्रकट हो कर बोले तो पूरी बेशर्मी के साथ राजनीतिक भाषा में यही बोले कि उन्होंने राठौड़ की कोई सहायता नहीं की, उन्हें तो वह बना-बनाया डीजीपी मिला था, जिसको बाद में उन्होंने हटा दिया (फ़िर कहा निलंबित कर दिया)। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सन् 1990 में जब कांड की शुरुआत हुई, उस वक्त भी चौटाला ही मास्टर हुकुम सिंह का मुखौटा पहन अपनी तानाशाही पूरे जोर से चला रहे थे। उन्हीं के आदेश एवं संरक्षण के तहत तत्कालीन डीजीपी आर. आर. सिंह की अवहेलना करके के. पी. सिंह बतौर एसपी अंबाला लगाया जो राठौर के लिए धरती-आकाश एक किये हुए था। और तो और, चौटाला के ही आदेश पर तत्कालीन कृषि विभाग के आयुक्त नसीम अहमद आईएएस ने रुचिका की सहेली अराधना के पिता आनंद प्रकाश को इस केस की पैरवी न करने या परिणाम भुगतने तक को कह दिया। बेशर्मी की हद तो तब पार हो गई जब 28-11-09 को चौटाला पुत्र अजय सिंह ने सिरसा की एक जनसभा में कहा कि 20 वर्ष पुराने रुचिका कांड को क्यों उठाये फ़िर रहे हो? उठाना ही है तो मधुबन सेक्स स्कैंडल को क्यों नहीं उठाते?

इस तुलना से उसके दिमाग़ी स्तर का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। मधुबन में जहां कोई पीड़ित नहीं, कोई शिकायतकर्त्ता नहीं, वहां तो उन्हें स्कैंडल नज़र आ रहा है, और जहां उनके पालतू राठौड़ ने एक होनहार बच्ची की 'हत्या' कर दी, उनके पूरे परिवार को तबाह कर दिया, जिसके विरोध में आज सारा देश खड़ा नज़र आ रहा है, उसे वह छोड़ देने की बात करता है।

विदित है कि उस समय भाजपा के सहयोग से चौटाला सरकार चला रहे थे और हिमाचल के भाजपाई मुख्यमंत्री ने जब रुचिका कांड से ढंग से निपटने संबंधी एक पत्र चौटाला को लिखा तो उन्होंने इसकी शिकयत वाजपेयी से की तो वाजपेयी को पूरा मामला समझना पड़ा और फ़िर उन्होंने भी चौटाला को यही सलाह दी थी कि वे न्याय करें। लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वाजपेयी तथा भाजपा भी अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के चलते खामोश तमाशाई बनी रही।

दरअसल, रुचिका कांड इस राज्य एवं देश की उस घिनौनी राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक व सामाजिक व्यवस्था का वह घिनौना चेहरा बेनकाब कर रहा है जिसको व्यवस्था के संचालकों ने झूठ, फ़रेब व मक्कारी के पर्दे से ढक कर रखा हुआ था। यही मीडिया जो आज चौबीसों घंटे रुचिका राग अलाप रहा है, उस वक्त कहां था जब राठौड़ तीन साल तक उसे तिल-तिल कर मार रहा था? उसके भाई पर जब पुलिस अत्याचार कर रही थी और हथकड़ी लगा कर उसकी गली में उसका जुलूस निकाल रही थी। उस वक्त किसी पत्रकार की हिम्मत क्यों नहीं हुई उसकी फ़िल्म बनाने व आवाज़ उठाने की। जाहिर है, कोई तीसमार खां उस वक्त चौटाला-राठौर की गुंडा पुलिस का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन शुक्र है कि आज तो मीडिया ने अपनी ज़िम्मेवारी को समझ कर कुछ उचित किया।

यहां मामला दरअसल एक रुचिका और राठौर का नहीं है। शासन चलाने वाले शासक वर्गों को यहां लगातार ऐसे राठौरों की जरूरत पड़ती रहती है जो उनके इशारों पर कुछ भी कर सकते हों। ऐसे लोग अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला करने में कोई संकोच नहीं करते।

हरियाणा का इतिहास देखने से पता चलता है कि इस तरह के राठौरों की जरूरत सबसे अधिक चौटालों को रही है। महम कांड इसका सबसे बड़ा एवं जीता-जागता उदाहरण है। कोई भी समझदार, संवेदनशील और ईमानदार अधिकारी किसी शासक विशेष के प्रति अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए कभी भी उलटे-सीधे कारनामे नहीं करता। इसीलिए चौटालों को ऐसे अफ़सर कभी नहीं भाते। वे हमेशा ही अपने कार्यकाल में राठौरों, तोमरों रणबीरों, शमशेरों, के. पी. सिंहों को ही बढ़ावा दे कर जनता को लुटवाने-पिटवाने तथा अपना उल्लू सीधा करने का काम करते रहते हैं। जो अफ़सर या नागरिक उनके मुताबिक नहीं चलता, उसको रगड़ा लगाने को वे राज्य की सारी ताकत इन्हीं वफ़ादारों के माध्यम से ही तो लगवाते रहे हैं।

आज, जो शासक वर्ग रुचिका को न्याय देने हेतु बिछा जा रहा है, वह इसलिए नहीं कि यकायक उन्हें रुचिका एवं उसके परिवार पर तरस आ गया है, बल्कि इसलिए कि इनके अपने ही मुंह पर कालिख पुत चुकी है। उस कालिख को धोने के प्रयास में देश का कानून एवं न्याय मंत्री कानून तक में बदलाव करने की बात कर रहा है। देश का गृह मंत्रालय रुचिका परिवार के साथ हुई ज़्यादतियों का ब्यौरा लेने के लिए उनके वकील को विशेष तौर पर आमंत्रित कर रहा है। पंचकूला के एसपी ने गिरहोत्रा की अर्ज़ी पर संज्ञान लेते हुए तुरंत (29.12.09) एक नहीं, दो-दो एफआईआर दर्ज कर दी। अब क्या हो गया कि इतनी फुर्ती से काम हो रहा है? क्या कानून में कोई परिवर्तन रातोंरात हो गया? नहीं वही कानून है, वही सबकुछ है, बदला है सिर्फ़ तो जनता का दबाव। यदि देश भर की जनता इस अन्याय के विरुद्ध उठ न खड़ी होती तो न तो मोइली कुछ बोलने वाला था, न गृह मंत्रालय और न ही पंचकूला का एसपी कोई एफआईआर दर्ज करने जा रहा था। और उस सेकरेड हार्ट स्कूल को भी कोई पूछने नहीं जा रहा था कि उन्होंने कैसे रुचिका को स्कूल से निकाल कर आत्महत्या की ओर बढ़ने को मजबूर किया। दरअसल रुचिका को राठौर के कहने पर स्कूल से इसलिए निकाला गया था वहीं उसी श्रेणी में राठौर की लड़की भी पढ़ती थी जिसे रुचिका की वजह से आये दिन शर्मिन्दा होना पड़ता था। रुचिका को निकाल कर स्कूल ने राठौर की बेटी को कुछ राहत दे दी होगी, पर रुचिका को मौत की ओर धकेल कर स्कूल ने अपने मुंह पर जो कालिख पोत ली है, उसका एहसास अब उन्हें हो रहा है जिसके चलते वहां की प्रिंसिपल सरकारी जांच से बचती फ़िर रही है।

जहां तक उपरोक्त जांच-पड़ताल का सवाल है, इसका कोई औचित्य नहीं रहा सिवा इसके कि इससे यह साबित हो गया कि जनता की ताकत सबसे बढ़ कर है और वह अगर न्याय के लिए कमर कस ले तो सरकार को भीषण सर्दी में पसीने छूटने लगें। जनता अब जागरूक हो रही है। जनता के अग्रगामी तत्व भली-भांति इस बात को समझ चुके हैं कि प्रशासन हो अथवा न्यायपालिका, वर्तमान व्यवस्था को सहारा देने वाले स्तंभ बने हुए हैं, पर जो व्यवस्था अपने ही अंतर्विरोधों के कारण चरमरा रही है, वह आज न तो कल, पतन के गर्त में डूबेगी ही।

इतनी हास्यास्पद भी हो सकती है हाई कोर्ट

हाई कोर्ट उस जज पर सवार क्यों नहीं होती जिसने जमानत मंजूर की थी? दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि हाई कोर्ट सीबीआई अथवा किसी को भी कैसे बाध्य कर सकती है कि वह उनके सामने याची बन कर याचिका दायर करे? और यदि सीबीआई संबंधित याचिका दायर न करे तो मुकदमे का क्या होगा?

आपराधिक न्याय व्यवस्था को दीमक की तरह खा चुके भ्रष्टाचार का यह पहला या आखिरी मामला नहीं है। इस तरह के मामले दिन-प्रतिदिन हो रहे हैं, लेकिन मीडिया में यदा-कदा कोई-कोई ही जगह बना पाता है।

पंजाब अकाली दल की प्रमुख नेता बीबी जागीर कौर वाला मामला भी इसी तरह का है। इसमें भी अपनी बेटी की हत्या कराने वाली जागीर कौर तो जमानत पर खुली घूम रही है और बेचारा गनमैन जेल में बंद पड़ा है। जिस व्यवस्था में धन और प्रभाव से न्याय तुलता हो, वहां यह सब होना स्वाभाविक ही है। जब तक यह व्यवस्था रहेगी, सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा।